जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ।

विज्ञापन संख्या–02 / 2019–20

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प ज्ञापांक–4729 / दिनांक–04.06.2007, 6440 / दिनांक–17.07.12 एवं ज्ञापांक–(छ) 848 / दिनांक–21.03.2017 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अन्तर्गत सृजित पदो के लिए रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	कुल
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
01	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	02	01	01	**04**
02	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	01	01	01	**03**
03	लेखा सहायक	01	01	01	**03**
04	कम्प्यूटर सहायक	00	02	01	**03**

नोट :- आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या कोटिवार घट-बढ़ सकती है।
नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

उपरोक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु जिला के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 (परिशिष्ट–'4') तथा अधिसूचना संख्या–14 / स्थानीय नीति–14–01 / 2015 / 5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश संख्या–47 / स्थानीय नीति–14–01 / 2015 / 5939, दिनांक–14.07.2016 प्रभावी मानी जाएगी) अतः इस जिला के योग्य अभ्यर्थियों से निम्न दिशा–निर्देश एवं शर्तो के तहत आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया/ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-

➢ आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय Recruitment Portal http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन **दिनांक–20/06/2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक–04/07/2020** तक भरा जायेगा।

नियुक्ति हेतु शर्त्त निम्नवत् है :-

1. मासिक परिलब्धि/संविदा राशि :– ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प ज्ञापांक–(N)2369/दिनांक–30.09.2016 के आलोक में मासिक मानदेय निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :–

क०सं०	आवेदित पद का नाम	मासिक मानदेय
01	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19,234.00 (उनीस हजार दो सौ चौतीस) रुपये
02	तकनीकी सहायक(कनीय अभियंता के समकक्ष)	17,532.00 (सत्तरह हजार पाँच सौ बत्तीस) रुपये
03	लेखा सहायक	10,000.00 (दस हजार) रुपये
04	कम्प्यूटर सहायक	10,000.00 (दस हजार) रुपये

❖ *ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को यह अधिकार होगा की वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन कर सके।*

2. शैक्षणिक योग्यता :-

(क) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-

I. अनिवार्य योग्यता :–
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

II. अतिरिक्त योग्यता :–

a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।

b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ख) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-

I. अनिवार्य योग्यता :–
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

II. अतिरिक्त योग्यता :–

a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।

b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनकें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ग) लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-

I. अनिवार्य योग्यता :–
सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम०कॉम० किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

II. <u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>

a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।

b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किा हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

(घ) कम्प्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-

I. <u>अनिवार्य योग्यता :–</u>

a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :–

1. **बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स।**
2. **बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य।**
3. **बी०सी०ए०**
4. **सामान्य स्नातक उर्त्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।**

b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०सी०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

II. <u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>

a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया जो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

3. आयु सीमा 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष

4. अधिकतम : आयु सीमा
(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग के ज्ञापांक–2096, राँची, दिनांक–25.04.2011 के अलोक में)

(क) अनारक्षित	:–	35 वर्ष
(ख) पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	:–	37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	:–	38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	:–	40 वर्ष

5. <u>आरक्षण</u> – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर पश्चिमी सिंहभूम जिला के तत् संबंधित निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। साथ ही विकलांगो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान क्षैतिज रूप से किया जायेगा। विकलांगता के दावा हेतु विकलांगता प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा (झारखण्ड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–05/2016 का० 5671/राँची, दिनांक–04.07.2016 के आलोक में) प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। आरक्षण के दावा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प सं0–5939/दि0–14.07.2016 क आलोक में इन पदों पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति की जाएगी।

अतः आवेदन के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करना सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है अन्यथा उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पश्चिमी सिंहभूम जिला के किसी प्रखंड में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा किया जा जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा।

7. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी। संविदा का हर वर्ष नवीकरण होगा।

8. नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन, स्थल, एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण कार्य :–

(क) नियमावली के परिशिष्ट I एवं II में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पद नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा की कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम–11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त कर दी जायेगी।

9. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिए आवेदन जमा कर सकते है। इसके लिए उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना होगा कि वे अन्य किसी नियोक्ता के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं है एवं किसी अन्य तरीके से लाभ अर्जन नहीं कर रहे है। यदि उनका यह शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

11. जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आंशिक यह पूर्ण रूप से रद्द कर सकती है।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

ह०/-

जिला दण्डाधिकारी-सह-
उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक–**536**/जि०ग्रा०, दिनांक–**15/06/2020**

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलॉड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- श्री यतीन्द्र प्रसाद, सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विज्ञापन संख्या–02/2019–2020 विभागीय Recruitment Portal https://applyrdd.jharkhand.gov.inपर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13/6/20

जिला दण्डाधिकारी-सह-
उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।